

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

SAKET SPORTS COMPLEX

Saket, New Delhi-110017

दिल्ली विकास प्राधिकरण

साकेत खेल परिसर

साकेत, नई दिल्ली -110017

No. F4(755)SSC/DDA2020-21/Civil

Dated: 28/10/2020

**Notice Inviting Quotation No.04**

कोटेशन नंबर 04 को आमंत्रित करते हुए नोटिस

Online quotations are **invited** on behalf of Delhi Development Authority, (Sports Wing) for the following works at Saket Sports Complex. **The quotation shall be uploaded in two parts, namely, 'Part -I' containing Technical Bid and 'Part – II' comprising 'Financial Bid'. The bid not uploaded in accordance with the prescribed manner will not be accounted for at all.** Only those agencies/ Firm/ Person having undertaken similar work **(Three or more similar nature of works each costing not less than 40% of the estimated cost put to quotation, or two similar works costing each not less than 60% of the estimated cost put to quotation, or one similar of work costing not less than 80% of estimated cost put to quotation)** during the last seven years in Government Department or Public Sector undertaking with annual turnover more than 30% of the estimated cost in each year during the immediate last three consecutive financial year ending March 2019 duly certified by Chartered Accountant are entitled to apply. A proof thereof should be upload with the Technical Bid. The quotationer should be registered with the Department of Trade & Taxes, GNCTD/GST and furnish a copy of registration with the tender.

दिल्ली विकास प्राधिकरण, (स्पोर्ट्स विंग) की ओर से साकेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन कोटेशन आमंत्रित किए गए हैं। उद्धरण को दो भागों में अपलोड किया जाएगा, अर्थात्, भाग -I जिसमें तकनीकी बोली और भाग-II वित्तीय बोली शामिल हैं। निर्धारित तरीके के अनुसार अपलोड नहीं की गई बोली का बिल्कुल भी हिसाब नहीं होगा। केवल उन एजेंसियों / फर्म / व्यक्ति ने समान कार्य किया है (प्रत्येक कार्य की तीन या अधिक समान प्रकृति, प्रत्येक लागत का अनुमानित लागत का 40% से कम नहीं है, या दो समान कार्यों की लागत है, जो अनुमानित लागत का 60% से कम नहीं है। सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र में पिछले सात वर्षों के दौरान अनुमानित लागत का 80% से कम नहीं है। मार्च 2019 के अंत में लगातार तीन वित्तीय वर्ष जो चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किए गए हैं वे आवेदन करने के हकदार हैं। एक सबूत को तकनीकी बोली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। कोटेशन को व्यापार और कर विभाग, GNCTD / GST के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

**Name of work :- Maintenance of Saket Sports Complex, DDA**

**SH :- Miscellaneous carpentry / Aluminum repair work at SSC, DDA**

**Estimated cost: Rs. 49088/-**

**Earnest money-Rs. 5,000/-**

S.No.	Description	Qty.	Unit	Rate	Amount
1	Providing and fixing of almirah lock of superior quality as approved by Secretary /RE of the Complex.	20	Each		
2	Providing and fixing of almirah handle of superior quality as approved by Secretary /RE of the Complex.	20	Each		
3	Providing and fixing of handle lock of flush door of superior quality as approved by Secretary /RE of the Complex.	2	Each		
4	Providing and fixing sliding door bolt of superior quality as approved by Secretary/RE of the Complex.	1	Each		
5	Providing and fixing multi purpose lock of superior quality as approved by Secretary / RE of the Complex.	7	Each		
6	Fixing of SS Benches by riveting the leg with SS plate by 4 Nos. fastener (75mm SS304) on granite/kota etc. flooring as direction of Secretary /RE of the Complex.	10	Each		

7	Replacement of bottom lock of glass door of superior quality as per direction of Secretary /RE of the Complex.	3	Each		
8	<b>Buy Back of old lock of glass door</b>	<b>3</b>	<b>Each</b>		

Quotation documents can be obtained / download on the e-tendering portal i.e. *website* <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> or [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) 04.11.2020, upto 3:00 PM (last date of sale) and Opening of technical bid on 06.11.2020, 11:00 AM Earnest money amounting to **Rs.5,000/-** and shall be deposited through RTGS/NEFT in the account of “CAU SPORTS DDA(Emd Account)” having account No. 1614159849 with “Kotak Mahindra Bank, Gulmohar Park, New Delhi- 110049, (IFSC. KKBK0000184). The unique transaction reference of RTGS/NEFT shall have to be uploaded by the quotationer in the E-Tendering system by the prescribed date. The DDOs concern will get earnest money verified from their banks based on the unique transaction reference no. against each RTGS/NEFT payment before the tenders are opened.

**ई-टेंडरिंग पोर्टल यानी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) 04.11.2020 पर, अपराह्न 3:00 बजे तक (अंतिम तिथि) ) और 06.11.2020 पर तकनीकी बोली का उद्घाटन, 11:00 पूर्वाह्न तक सबसे कम धनराशि रु 5000 / - और "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए (ईएमडी खाता)" खाता संख्या 1614159849 के खाते में आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से जमा की जाएगी। “कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110049, (IFSC | KKBK0000184) के साथ। आरटीजीएस / एनईएफटी के अनूठे लेनदेन संदर्भ को कोटेशन द्वारा ई-टेंडरिंग प्रणाली में निर्धारित तिथि तक अपलोड करना होगा। डीडीओ की चिंता के कारण अद्वितीय लेनदेन संदर्भ संख्या के आधार पर अपने बैंकों से बयाना सत्यापित किया जाएगा। निविदाएं खुलने से पहले प्रत्येक आरटीजीएस / एनईएफटी भुगतान के खिलाफ।**

### **Technical Bid (First cover)**

The quotations are required to furnish following documents in technical bid:-

- Scanned copy of reference of RTGS/NEFT (EMD).
- Scanned copy of PAN No.
- Scanned copy of GST Certificate.
- Scanned copy of award letters and certificates of satisfactory completion of similar nature of works under taken.
- Scanned copy of Proof of registration in Contractors Registration Board (CRB) of DDA.
- Scanned copy of Turnover Certificate duly certified with UDIN generated by Chartered Accountant/CA firm.

### **तकनीकी बोली (पहला कवर)**

तकनीकी बोली में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है: -

- आरटीजीएस / एनईएफटी (ईएमडी) के संदर्भ की स्कैन की गई कॉपी।
- पैन नंबर की स्कैन की गई कॉपी
- जीएसटी प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी।
- पुरस्कार पत्रों की स्कैन की गई कॉपी और लिए गए कार्यों की समान प्रकृति के संतोषजनक समापन के प्रमाण पत्र।
- डीडीए के ठेकेदार पंजीकरण बोर्ड (सीआरबी) में पंजीकरण के सबूत की स्कैन की गई प्रतिलिपि।
- चार्टर्ड एकाउंटेंट / सीए फर्म द्वारा उत्पन्न यूडीआईएन के साथ विधिवत प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रतिलिपि।

### **TERMS & CONDITIONS:-**

- The work shall be done as per specifications.
- Quoted rate should be inclusive of all taxes / levies including GST, payable under respective states, DDA will not entertain any claim, whatsoever in this regard.
- The payment will be made after entire satisfaction of AE(C)/Secretary/SSC, DDA.
- No T & P will be issued by Department.
- No advance payment will be made to the agency.
- Commissioner (Sports) reserves the right to accept or reject any bid / quotation without assigning any reason.
- Commissioner (Sports) reserves the right to debar the concerned agency if the work is not completed in stipulated time as work is found to be substandard.
- Conditional quotation will not be accepted.

9. Necessary statutory deductions as applicable will be made.
10. 10% Security Deposit will be deducted from the tender amount.
11. No minor shall be engaged at site.
12. Nothing extra will be paid to the agency by the department.
13. Validity of Quotation is 60 days from the date of opening.
14. Debarred agency / or individual shall not be permitted to participate in the tendering process. Agency should be reputed and does not have any tarnished reputation.
15. Any individual who has been debarred is not permitted to take part in any negotiations or represent an agency even if he holds a power of attorney on the agencies behalf. Any agency engaging debarred persons is also liable to debarring.
16. The experience of agencies should be taken into account rather than individuals incorporated with the agency, which does not include proprietorship.
17. The quantities of items in schedule are tentative which may change depending upon site conditions.
18. If the entire work is not done within the stipulated time mentioned in work order, it will be sole discretion of the Secretary/SSC to accept the work of item on such terms as the Secretary deemed fit and proper or to cancel the supply order/ to stop any payment against the work / to forfeit the earnest money or to debar the concerned agency. The decision of the Competent Authority in this behalf shall be final and not to be called in question before any Forum.
19. The contractor will be fully responsible during execution of work. If any loss/ theft/ damage caused at site/ surrounding, the same shall be made good with in quoted rates or recovered from the agency/shall be made good at agency's risk and cost.
20. If any agency submits a faulty or incomplete tender for the first time, 20% of the earnest money so deposited shall be forfeited. However, if the agency commits fault or submits incomplete tender again in the subsequent tenders and the competent Authority finds that the default has been willful, negligent or malafide in its intent, the earnest money shall be forfeited absolutely without assigning any reason and the tenderer shall not be allowed to participate in future tendering.
21. In case the rates quoted by the bidders are same, then in order to arrive at a decision, a draw of lots shall be carried out by a Committee comprising of Secretary of the Complex, Sr. AO (Sports) and AAO of the complex.
22. The experience of agencies should be taken into rather than individuals incorporated with the agency, which does not include proprietorship.
23. Based on real time feedback of members and administrative staff of DDA as and when a deficiency of service is noticed the same will be intimated to the agency/ contractor for rectification. In case there is no improvement/ rectification within prescribed period from the time of intimation proportionate deduction, as approved by the Competent Authority, shall be made from the agency/ contractor.
24. The work shall be completed within 15 days from the date of issue of the order.
25. Agencies/Firms registered with national Small Industries Corporation (NSIC) under Public Procurement policy for Micro Small & Medium Enterprises (MSMEs) will be given exemption from EMD deposit. This exemption will be extended in the cases of goods produced and services provided by MSMEs. However, to avail such exemptions, a valid certificate of registration will be given /uploaded on E-tender Portal by agencies/firms.

### नियम एवं शर्त:-

1. कार्य विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
2. कोटेड दर को जीएसटी सहित सभी करों / शुल्कों में शामिल किया जाना चाहिए, संबंधित राज्यों के तहत देय, डीडीए इस संबंध में किसी भी दावे का मनोरंजन नहीं करेगा।
3. भुगतान एई (सी) / सचिव / एसएससी, डीडीए की पूरी संतुष्टि के बाद किया जाएगा।
4. विभाग द्वारा कोई टीएंडपी जारी नहीं किया जाएगा।
5. एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. आयुक्त (खेल) बिना किसी कारण बताए किसी भी बोली / उद्धरण को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
7. आयुक्त (खेल) काम पूरा नहीं होने पर संबंधित एजेंसी को डेबिट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है निर्धारित समय में जब कार्य घटिया पाया जाता है।
8. सशर्त उद्धरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. लागू होने पर आवश्यक वैधानिक कटौती की जाएगी।
10. टेंडर राशि से 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट काटा जाएगा।
11. किसी भी नाबालिग को साइट पर नहीं लगाया जाएगा।
12. विभाग द्वारा एजेंसी को कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

13. उद्घाटन की तिथि से उद्घरण की वैधता 60 दिनों की है।
14. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजेंसी को प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए और उसकी कोई कलंकित प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए।
15. किसी भी व्यक्ति को, जिसे डिबार कर दिया गया है, को किसी भी वार्ता में भाग लेने या किसी एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही वह एजेंसियों की ओर से अटॉर्नी की शक्ति रखता हो। किसी भी एजेंसी के पदच्युत व्यक्तियों को उलझाने के लिए भी उत्तरदायी है।
16. एजेंसियों के अनुभव को एजेंसी के साथ शामिल व्यक्तियों के बजाय खाते में लिया जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।
17. अनुसूची में वस्तुओं की मात्रा अस्थायी है जो साइट की स्थितियों के आधार पर बदल सकती है।
18. यदि कार्य क्रम में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर पूरा कार्य नहीं किया जाता है, तो सचिव / एसएससी का यह पूरी तरह से विवेक होगा कि सचिव द्वारा उचित और उचित समझे जाने पर या आपूर्ति आदेश को रद्द करने के लिए ऐसे शब्दों पर मद के कार्य को स्वीकार किया जाए। / काम के खिलाफ किसी भी भुगतान को रोकने के लिए / बयाना धन को जब्त करने या संबंधित एजेंसी को डेबिट करने के लिए। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी फोरम के समक्ष प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा।
19. कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यदि साइट / आस-पास किसी भी प्रकार की हानि / चोरी / क्षति हुई है, तो उसे उद्धृत दरों के साथ अच्छा बनाया जाएगा या एजेंसी से बरामद किया जाएगा / एजेंसी के जोखिम और लागत पर अच्छा बनाया जाएगा।
20. यदि कोई एजेंसी पहली बार किसी दोषपूर्ण या अधूरे निविदा को प्रस्तुत करती है, तो जमा की गई धनराशि का 20% जब्त किया जाएगा। हालांकि, यदि एजेंसी गलती करती है या बाद के निविदाओं में फिर से अधूरा निविदा प्रस्तुत करती है और सक्षम प्राधिकारी पाता है कि चूक अपने इरादे में दृढ़ इच्छाशक्ति, लापरवाही या खराबी है, तो बिना किसी कारण बताए बयाना धन पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा। भविष्य की निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
21. यदि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत की गई दरें समान हैं, तो किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए, समिति के सचिव, सीनियर AO (खेल) और AAO की समिति द्वारा बहुत से ड्रा निकाले जाएंगे। जटिल।
22. एजेंसियों के अनुभव को एजेंसी के साथ शामिल किए गए व्यक्तियों के बजाय लिया जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।
23. डीडीए के सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों के वास्तविक समय के फीडबैक के आधार पर जब सेवा में कमी देखी जाएगी तो उसे सुधार के लिए एजेंसी / ठेकेदार को सूचित किया जाएगा। यदि अंतरिम अनुपात कटौती के समय से निर्धारित अवधि के भीतर कोई सुधार / सुधार नहीं होता है, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, एजेंसी / ठेकेदार से किया जाएगा।
24. आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर काम पूरा हो जाएगा।
25. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के तहत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) के साथ पंजीकृत एजेंसियों / फर्मों को EMD जमा से छूट दी जाएगी। यह छूट MSMEs द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं के मामलों में विस्तारित की जाएगी। हालांकि, इस तरह की छूट का लाभ उठाने के लिए, पंजीकरण का एक वैध प्रमाणपत्र एजेंसियों / फर्मों द्वारा ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड / अपलोड किया जाएगा।

A.E (Civil) / SSC  
Authorized Signatory on  
Behalf of Commissioner (Sports)

**Copy to:-**

1. Commissioner (Sports), DDA-For information please.
2. Director (System)/DDA through E-Mail. ddatender@dda.org.in
3. Sr. A.O. (Sports), DDA.
4. Secretary / SSC
5. All Secretaries of the DDA Sports Complexes
6. DDA Contractor association E-18 Vikas kuteer, New Delhi
7. DDA Contractor Welfare Association, Room no.12, Barrack no.1, Block-A, Vikas Kuteer, New Delhi.
8. Delhi Contractor Welfare Association (C), 306, Masjid Moth, NDSE, Part-II, New Delhi.
9. AAO / SSC.
10. Notice Board.

को कॉपी:-

1. आयुक्त (खेल), डीडीए-कृपया जानकारी के लिए।
2. ई-मेल के माध्यम से निदेशक (सिस्टम) / डीडीए। ddatender@dda.org.in
3. सीनियर ए.ओ. (खेल), डीडीए।
4. सचिव / एसएससी
5. डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सभी सचिव
6. डीडीए कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ई -18 विकास कुटर, नई दिल्ली
7. डीडीए कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन, कमरा नंबर 12, बैरक नंबर 1, ब्लॉक-ए, विकास कुटर, नई दिल्ली।
8. दिल्ली कांटेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन (C), 306, मस्जिद मोठ, NDSE, भाग- II, नई दिल्ली।
9. एएओ / एसएससी।
10. नोटिस बोर्ड।

A.E (Civil) / SSC

